(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1629 – पॉच/1998 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–1998– पारित व्दारा – अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर – प्रकरण 21/1995–96 अपील

1– रामगोपाल पुत्र होतम
2– राघवेन्द्र पुत्र रामगोपाल
निवासी ग्राम जैतपुर
तहसील जौरा जिला मुरैना
3– पातीराम पुत्र भागीरथ
ग्राम मोहना तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– मॉगीलाल पुत्र भगवानलाल
ग्राम मोहना तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक क्र–1के अभिभाषक श्री डी0के0शुक्ला)
(अनावेदक क्र–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक प्रकरण 21/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–6–1998 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी, जौरा ने प्रकरण क्रमांक 6/1991–92 अ–59 में पारित आदेश दिनांक 28–12–1991 से ग्राम मोहना स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 63 रकबा 7 वीघा 14 विसवा, सर्वे क्रमांक 129/1 रकबा 5 वीघा में से 1 वीघा, सर्वे क्रमांक 132 रकबा 1 वीघा

4 विसवा , सर्वे क्रमांक 133 रकबा 3 वीघा 19 विसवा में से 1 वीघा चरनाई से काविलकास्त तथा सर्वे क्रमांक 328 रकबा 16 विसवा को गोठान से आबादी घोषित की। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क्र-2 ने बंदोवस्त अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 37/1994-95 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 22-11-1995 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को निरस्त कर सर्वे क्रमांक 63 रकबा 7 वीघा 14 विसवा, सर्वे क्रमांक 129/1 रकबा 5 वीघा में से 1 वीघा, सर्वे क्रमांक 132 रकबा 1 वीघा 4 विसवा , सर्वे क्रमांक 133 रकबा 3 वीघा 19 विसवा में से 1 वीघा काविल कास्त से पूर्ववत् चरनाई तथा सर्वे क्रमांक 328 रकबा 16 विसवा को आबादी से गोठान दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक प्रकरण 21/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-1998 से अपील अमान्य की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन पक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने ग्राम मोहना स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 63 रकबा 7 वीघा 14 विसवा, सर्वे क्रमांक 129/1 रकबा 5 वीघा में से 1 वीघा, सर्वे क्रमांक 132 रकबा 1 वीघा 4 विसवा , सर्वे क्रमांक 133 रकबा 3 वीघा 19 विसवा में से 1 वीघा चरनाई से काविलकास्त तथा सर्वे क्रमांक 328 रकबा 16 विसवा को गोठान से आबादी घोषित करने के पूर्व यह जांच नहीं की, कि ग्राम में पशुओं के लिये पूर्व से आरक्षित चरनोई भूमि निर्धारित सीमा से

कम है अथवा ज्यादा है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अंतर्गत भूमि के मद परिवर्तन की स्वीकृति देने की शक्तियां बंदोवस्त के समय बंदोवस्त अधिकारी को एंव बंदोवस्त समाप्ति उपरांत कलेक्टर को हैं इस प्रकार सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने अधिकार न होते हुये भी आदेश दिनांक 28-12-1991 से ग्राम मोहना स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 63 रकबा 7 वीघा 14 विसवा, सर्वे कमांक 129/1 रकबा 5 वीघा में से 1 वीघा, सर्वे कमांक 132 रकबा 1 वीघा 4 विसवा , सर्वे कमांक 133 रकबा 3 वीघा 19 विसवा में से 1 वीघा चरनाई से काविलकास्त तथा सर्वे कमांक 328 रकबा 16 विसवा को गोठान से आबादी घोषित करने का अधिकार-विहीन आदेश पारित किया है जिसे बंदोवस्त अधिकारी मुरैना ने अपील कमांक 37/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 22-11-1995 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक प्रकरण 21/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-1998 से बंदोवस्त अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक प्रकरण 21/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-1998 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर